E-mail से

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC-S/W(Digital Signature)-(2016-17) / 1002 / 1612057 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जनवरी 13 ,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश संख्या क0नि0-2/1718/11-9(295)/07 को उत्तर प्रदेश VAT नियम -08-आदेश (171)-2016 दिनांक 15-12-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 72 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से किसी भी Notice, आह्वान पत्र (Summons)या आदेश की तामीली के सम्बंध में परिवर्तन किया गया है। उक्त के अन्तर्गत किसी भी Notice,आह्वान पत्र या आदेश की Scan की गयी प्रति अथवा Electronically Generated व Digital Signature की प्रति ई-मेल से अथवा अनुलिपि संदेश के माध्यम से प्रेषित किये जाने को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। इस संशोधन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन 2000) की धारा-13 के उपबन्ध के साथ लागू माना जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में विभागीय Vyas Central Software में Online Generate किये जाने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र, नोटिस, आदेश को डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से निर्गत करने की प्रक्रिया का निर्माण किया गया है जो दिनांक 20-01-2017 के पश्चात Live कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में समस्त विभागीय अधिकारियों को विभाग द्वारा पूर्व में ही Digital Signature प्राप्त कराया जा चुका है। विभागीय Software मे जिसके प्रयोग की प्रक्रिया मुख्यत: 2 चरणों में सम्पादित की जायेगी:-

1- कर निर्धारण अधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी के Digital Signature का Software में Registration

2- कर निर्धारण अधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी द्वारा Login करने के पश्चात Online Generated Notice/आदेश/पंजीयन प्रमाण पत्र Digital Signature का प्रयोग करते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र/नाटिस/आदेश जारी करना।

<u>विभागीय Software में Digital Signature से Registration करने सम्बंधित प्रक्रिया निम्नवत् है :-</u>

a- **<u>Digital Signature installation:</u>** हेतु सर्वप्रथम दिए गए Token Pass को अपने Computer के USB Port में लगाए तत्पश्चात Auto Play Pop up पर Run autorun.exe का चयन किया जायेगा उसके बाद Language English select करेंगें। epass 2003 setup interface पर 'Next' Click किया जायेगा। Installation Location पर पुन: Next Click किया जायेगा उसके बाद Private CSP का चयन करके Install का बटन Click किया जायेगा। Installation process पूरी होने के पश्चात 'Finish' Button पर Click करेंगें।

b- <u>Vyas Central</u> पर Login करेंगें। Helpdesk Tab में दिए गए Link 'DSC Registration for Officer' पर Click करेगें तत्पश्चात Screen पर दिये गये Hyperlink Capicom.dll द्वारा File download करके उसे C:\Windows\System32 folder में save करेंगें। यदि आपके Computer का Operating System 64 Bit का है तो उसे C:\Windwos\SysWOW64 folder में save करेंगें।

c- Capicom.dll file Register करने हेतु Start के बाद Run पर जायेंगें। Command window पर regsvr32 c:\windows\System32\capicom.dll type करके Enter करेंगें यदि आपके Computer का Operating system 64 Bit का है तो Command window पर regsvr32 c:\windows\SysWOW64\capicom.dll type करके enter करेंगें।

d- पुन: व्यास सेन्ट्रल पर Login करेंगें। 'DSC Registration for officer' पर जायेंगें। सुनिश्चित करे कि आपका DSC USB port पर लगा होना चाहिए। दिए गए Select Button पर Click किया जायेगा। आपका नाम Digital ID पर प्रदर्शित होगा तत्पश्चात Register Digital Sign Button पर Click करके DSC Registration की प्रक्रिया पूरी करेंगें।

जोन के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा अपने संभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के Digital Signature Install कराने की प्रक्रिया की Monitoring करेंगें। विभागीय Website पर MIS Report में "Digital Signature Registration Pending Report" में यह सूचना उपलब्ध है कि जोन में कितने अधिकारियों द्वारा Login कर लिया गया है। सभी अधिकारी दिनांक 20-01-2017 तक डिजिटल सिग्नेचर अपने सिस्टम पर Install करना सुनिश्चित करेंगें। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो जोन में कार्यरत NIC के तकनीकी परसन से सहयोग लेते हुए Digital Signature Install तथा Register कराएंगें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

13/01/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।